



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102022-239502
CG-DL-E-08102022-239502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4515]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944

No. 4515]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4725(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आन्ध्र प्रदेश में स्थित मेसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्त्रोतों से देश के विभिन्न उपभोक्ताओं तक, प्राकृतिक गैस का परिवहन के लिए मेसर्स रिलायन्स गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अभी की पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) नाम से ज्ञात द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई गई थी;

और, जबकि, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उस भूमि में उपयोग के अधिकार को प्राप्त करना है जिसके अंतर्गत उक्त पाइपलाइन बिछाई गई थी। उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित उस भूमि के ब्योरे, उपयोग के अधिकार का अर्जन के लिए अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव है;

अतः अब भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उसमें उपयोग के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टेशन - 07, न्हावरा, तालुका शिरूर, जिला— पुणे, पिन - 412211, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र
गाँव का नाम	सर्वे सं./सब-डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल

		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) कडाव	128 / 4	00	09	40

*का.आ. 70(अ) दिनांक. 04 / 01 / 2022 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल.-14014/212/2022-जी.पी.-II (ई-44613)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4725(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of the natural gas from the sources in the State of Andhra Pradesh of M/s. Reliance Industries Limited, to various consumers in the country a pipeline was laid by M/s. Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, now known as Pipeline Infrastructure Limited.

And whereas, Government of India for the purpose of laying said pipeline has to acquire the Right of User in land under which the said pipeline was laid. The details of those lands described in the Schedule annexed hereto are proposed to be notified for acquisition of Right of user;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of User therein for laying the pipeline under the land to Competent Authority, Pipeline Infrastructure Limited, Compressor Station-07, Nhavara, Taluka – Shirur, District Pune, Pin Code – 412211; Maharashtra State.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District : Raigad	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-ivision No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Kadav	128/4	00	09	40

* Additional Survey Nos. to 3(1) Notification S.O. No.70 (E) dated 04.01.2022.

[F. No. L-14014/212/2022-GP-II(E-44613)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.